न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 51/2024

वादी :-

मेहराम पुत्र स्व. चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का बास ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. प्रकाश पुत्र मेहराम
2. सम्पत पुत्र मेहराम
3. सुरेश पुत्र मेहराम जातियान मेघवाल निवासीगण मुसलमानों का बास ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. बगदाराम पुत्र डांवरराम जाति सरगरा निवासी राजकीय सीनियर स्कूल के सामने सरगरों का बास ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :-वादीगण - श्री बी.आर. विश्नोई, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1 से 4 -श्री अरिहंत तातेड अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 5- सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> **दिनांक :-** 26/04/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कब्जासुद कृषि भूमि ग्राम रणसीगांव की सरहद में स्थित है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 का मौके पर हक व हिस्से अनुसार कब्जा काश्त आज दिन बरकरार है एवं प्रतिवादी सं. 5 को भूमिधारी होने से तरदीदी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। जिससे प्रतिवादी सं. 5 को वाद दायर करने से पूर्व अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी के नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह गयी है। कृषि भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड की प्रतिवाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड के मुताबिक ग्राम रणसीगांव के खाता सं. 1179 पर उभय पक्षकारान के नाम से खातेदारी में दर्ज है। जिसमें खसरा नंबर 575/27 रकबा 0.4854 हैक्टयर अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका भू विभाजन आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 4 के साथ भू विभाजन करवाने हेतु कई मर्तबा प्रयास किया किन्तु बंटवाडा विलेख पर माफिक भौतिक कब्जे अनुसार व मौखिक सेटलमेन्ट के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने अपने हस्ताक्षर सहमति से करने से इन्कार करने पर उक्त वाद पत्र न्यायालय श्री के समक्ष वास्ते भू विभाजन वादी को प्रस्तुत करना पड रहा है। वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी सं. 1 से 4 व समय समय पर दखलन्दाजी पडौसियों से मिलकर करने पर आमादा है अभी हाल ही में प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने वादी की वृद्धावस्था को देखते हुए बेदखल

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

करने की एलानिया धमकी ग्राम रणसीगांव में दिनांक 01.05.2024 को दी है। जिससे वादी को बाबत जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र पेश करना पड रहा है। आगामी वर्ष के प्रारम्भ में वादी को उक्त आराजी पर कृषि कार्य हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि में जाने की स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा दखलन्दाजी की जाने की संभावना है। जिससे वादी को वादकरण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 4 के ग्राम रणसीगावं में दिनांक 01.05.2024 को उत्पन्न हुआ।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के मध्य भू विभाजन की डिक्री जारी कर वादग्रस्त आराजी का भू विभाजन माप एवं सीमांकन के आधार पर किया जाकर डिक्री जारी किया जाकर पालना हेतु प्रतिवादी सं. 5 को पृथक से तहरीर जारी फरमावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि भू विभाजन के पश्चात वादी के हक हिस्से में आई कृषि भूमि पर उसके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे एवं न किसी अन्य से करावें, का आदेश करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा वाद दिनांक 08.07.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 575/27 रकबा 0.4854 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय का सहखातेदारान पक्षकारान की सहमति अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश क्रमांक/उखअबि/राजस्व/रीडर/2024/487 दिनांक 10.07.2024 में राजस्व वाद सं. 51/2023 अनवान मेहराम बनाम प्रकाश वगैराह अन्तर्गत धारा 53, 188 में पारित निर्णय की पालना में राजस्व ग्राम रणसीगांव पटवार मण्डल रणसीगांव के खसरा सं. 575/27 रकबा 0.4854 किस्म बारानी द्वितीय की प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु खसरा सं. 575/27 वक्त मौका निरीक्षण के दौरान वादीगण का राजस्व रेकर्ड व ऑनलाईन नक्शा की तरमीम में भिन्नता पायी गयी। तथा वादीगण का कब्जा खसरा सं. 575/27 में पूर्ण रकबे पर कब्जा नहीं होना पाया। अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना पाया गया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा सं. 575/27 (मूल खसरा सं. 575) में रकबा 0.4854 हैक्टयर भूमि दर्ज है। जबकि इनका कब्जा खसरा सं. 575, 582, 584, 564 में किया हुआ है। इस प्रकार तरमीम एवं मौका कब्जा में भिन्नता है जिसे बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है।

अतः जवाब वास्ते अवलोकन एवं अग्रिम आदेशार्थ सादर सेवार्पित है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादी परस्पर रेकर्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 12.06.2024 करे आपसी राजीनामा की भावना से वादी का वाद

स्वीकार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की। जिसके उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बिलाडा द्वारा उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में रिपोर्ट प्रेषित कि जिसके अनुसार वादीगण का कब्जा खसरा सं. 575/27 में पूर्ण रकबे पर कब्जा नहीं होना बताया गया जबकि अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना पाया गया। वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा अन्य खसरा सं. 575, 582, 584, 564 में होना पाया गया। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व ग्राम रणसीगावं के खसरा सं. 575/27 में तरमीम व मौका कब्जा में भिन्नता होंने के कारण खारिज किया जाता है। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

मेहराम प्रकाश वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 51/2024

निर्णय **दिनांक** :- 26/07/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बी आर विश्नोई अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री अरिहंत तातेड अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 5 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व ग्राम रणसीगावं के खसरा सं. 575/27 में तरमीम व मौका कब्जा में भिन्नता होंने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व षरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा